न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड (म०प्र०) (समक्ष—ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/644/2017 CNR no. MP30010055212017 सिविल वाद क्रमांक 175 ए / 2017 संस्थापन दिनांक :-03 / 10 / 2017

 वासुदेव शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र—35 वर्ष,
 शारदेव शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र—32 वर्ष, दोनों निवासी—ग्राम अकोडा, परगना व जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....वादीगण

//बनाम//

 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकोड़ा, जिला—भिण्ड (म०प्र०)
 म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

🏊 प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री रामदुलारे शर्मा। प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा श्री दिनेश जैन अधिवक्ता। प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा श्री रविन्द्र नगाइच अधिवक्ता।

<u>/ / आदेश / /</u> (आज दिनांक **25.01.2018** को घोषित)

- इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश
 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 3/17 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. यह सिविल वाद ग्राम अकोड़ा, परगना व जिला—भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 4647 क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर, 4651 क्षेत्रफल 0.136 हेक्टेयर एवं 4652 क्षेत्रफल 0.167 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् **''विवादित भूमियाँ''** से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

- वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियाँ वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ हैं और राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में वादीगण का नाम दर्ज है। विवादित भूमियों की अवस्थिति के संबंध में नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है, वादीगण अपने स्वत्वं व कब्जे की विवादित भूमियों पर तार फेंसिंग कर कृषि कार्य करते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों पर जबरन पक्का नाला बनाना चाहते हैं, इस हेत् गिट्टी व निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली गयी है और प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 23.05.2017 को कलेक्टर भिण्ड के समक्ष वादीगण ने लिखित शिकायत दी, इस संबंध में दिनांक 30.05.2017 को एक आवेदन एस0डी0एम0 भिण्ड को भी दिया गया जिसमें थाना प्रभारी को स्थल निरीक्षण का आदेश भी दिया गया परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 स्थल निरीक्षण के पूर्व ही विवादित भूमियों पर जबरन नाला बनाने हेतु प्रयासरत् है। वादीगण ने दिनांक 09.09.2017 को प्रतिवादीगण को धारा 80 सी0पी0सी0 की नोटिस भी रजिस्टर्ड डाक से भेजी, नोटिस के अवसान की अवधि के पूर्व ही प्रतिवादीगण जबरन निर्माण कार्य हेत् प्रयासरत् हैं और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में सिविल वाद संस्थित किया गया है। यदि वाद के लम्बन के दौरान विवादित भूमियों पर नाला का निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी और कृषि करने का वादीगण का अधिकार प्रभावित होगा। अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये कि वह विवादित भूमि पर या उसके आसपास कोई निर्माण कार्य न करें और और न ही कराबें 🎑
- 4. इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 2 म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अकोड़ा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने अपने लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि पक्का नाला म0प्र0 शासन की भूमि पर बनाया जा रहा है, वादीगण ने म0प्र0 राज्य की भूमि पर तार फेंसिंग कर अतिक्रमण कर लिया है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादीगण को किसी क्षति की कोई आशंका नहीं है। वादीगण ने मिथ्या व निराधार अभिवचन के आधार पर यह वाद संस्थित किया है, जो स्वीकारयोग्य नहीं है और खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

- 1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
- 3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने पर वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से अं

- 6. विवादित भूमियाँ वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ हैं, राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016—17 में विवादित भूमियाँ वादीगण के भूमि स्वामित्व की भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमियाँ वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ हैं। प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन में यह विनिर्दिष्ट अभिवचन है कि पक्का नाला का निर्माण म0प्र0 राज्य की भूमि पर किया जा रहा है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है।
- 7. प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि पक्का नाला का निर्माण म0प्र0 राज्य की भूमि पर किया जा रहा है, सम्पूर्ण लिखित कथन में म0प्र0 राज्य की भूमि के सर्वे नंबर या अभिकथित नाला के सर्वे नंबर का कोई उल्लेख नहीं है और यदि वाद के लम्बन के दौरान वादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों पर प्रतिवादीगण नाला का निर्माण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। यदि वादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों पर नाला का निर्माण किया जाता है तो वाद का उद्देश्य भी विफल हो जायेगा और सुविधा का संतुलन भी विवादित भूमियों के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में है।
- 8. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का बलपूर्वक तर्क है कि म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अनुशरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और यह वाद प्रचलनयोग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि वादपत्र के पैरा—7 में यह विनिर्दिष्ट अभिवचन है कि प्रतिवादीगण को दिनांक 09.09.2017 को रिजस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी गयी है, वादपत्र के साथ संलग्न रिजस्टर्ड डाक की रसीद के अनुसार दिनांक 09.09.2017 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी अकोड़ा को रिजस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी गयी है और प्रतिवादीगण का ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि वादीगण द्वारा रिजस्टर्ड डाक से प्रेषित नोटिस का जवाब दिया गया है।
- 9. यह सिविल वाद दिनांक 27.09.2017 को वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आपातिक परिस्थितियों के आधार पर नोटिस की विहित अविध के अवसान के पूर्व वाद संस्थित किये जाने की अनुमित का आवेदन भी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उपस्थित होने के पश्चात् या लिखित कथन में विनिर्दिष्टतः यह आपत्ति नहीं की है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को नोटिस प्राप्त नहीं हुयी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 मुख्य नगर पालिका अधिकारी अकोड़ा को रिजस्टर्ड डाक से नोटिस दिनांक 09.09.2017 को भेजी गयी है, प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से

अधिवक्ता दिनांक 13.10.2017 को उपस्थित हुआ है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क संधारणीय नहीं है।

- उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से यह प्रकट है कि विवादित भूमियाँ वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ हैं, प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और यदि वाद के लम्बन के दौरान वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियों पर प्रतिवादीगण नाला का निर्माण कर लेते हैं तो वाद का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 3 / 17 स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाता है कि प्रतिवादी कमांक 1 वादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों सर्वे क्रमांक 4647, 4651 व 4652 पर वाद के लम्बन के दौरान कोई निर्माण न करें और न ही करावें।
- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि म0प्र0 राज्य के स्वत्व की भूमियों पर 11. नाला के निर्माण कार्य की दशा में यह अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के ALIMANTA PARENTA SULVE द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड (ਸ0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के (म0प्र0)